न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 5/2021 **दायर दिनांकः 12/03/2021**

उनवान

1. नेमीचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति किराड निवासी नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र डालूराम जाति किराड निवासी नारायणपुरा तहसील अटरू।
2. माणकचन्द पुत्र कान्हा जाति किराड निवासी नारायणपुरा तहसील अटरू।
3. युधिष्ठर पुत्र डालूराम जाति किराड निवासी नारायणपुरा तहसील अटरू।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

अप्रार्थीगणः— स्वयं

निर्णय दिनाकः 19/01/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां आराजी खाता संख्या 53 का ख0नं0 382 का रकबा 3.27 है0 आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। उक्त आराजी प्रार्थी की शामलाती आराजी है जो प्रार्थी के हिस्से कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। उक्त आराजी प्रार्थी की शामलाती आराजी है जो प्रार्थी के हिस्से कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में आई है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 एवं स्थाई जमाबन्दी 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां में आराजी खाता संख्या 45 का ख0नं0 334 रकबरा 0.32 है0 आराजी अप्रार्थी कम 2 एवं खाता संख्या 60 का ख0नं0 333 का रकबा 2.04 है0 आराजी अप्रार्थी कम 1 तथा खाता संख्या 111 का ख0नं0 387 का रकबा 1.90 है0 आराजी अप्रार्थी कम 3 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। खाता संख्या 45, खाता संख्या 60, खाता संख्या 111 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो

काबिल गौर है। प्रार्थी अपनी आराजी ख0नं0 382 में आने जाने के लिये ख0नं0 334, ख0नं0 333, ख0नं0 387 की मेड पर आता जाता रहा है और अपने खेत पर कृषि उपकरण ट्रेक्टर–ट्रोली एवं अन्य उपकरण लाता ले जाता रहा है एवं उक्त रास्ते का उपयोग, उपभोग करता रहा है। जिसका उपयोग, उपभोग पूर्व में प्रार्थी के पूर्वज व वर्तमान में प्रार्थी करता चला आ रहा है। प्रार्थी सदैव से उक्त रास्ते में होकर अपने आराजी अपने आराजी में काश्त करने हेतु आता जाता रहा है। जिसे आज तक किसी भी खेत वाले ने नहीं रोका है। वर्तमान में प्रार्थी के रास्ते के खेत वालों ने जो अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 है ने रास्ते को बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है तो प्रार्थी ने इस बाबत अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 से कहा तो उनने प्रार्थी को वहां से निकलने बाबत मना कर दिया और धमकी दी कि आइन्दा यहां होकर मत निकलना अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के कृत्य से प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है एवं कठीनाईयों का सामना करना पड रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने इस संबंध में दिनांक 22.02.2021 को अप्रार्थी क्रम 4 से रास्ता खुलासा करवाने बाबत निवेदन किया तो उनने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी आज तक अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के खेतों की मेड पर होकर आता जाता रहा है और अपने कृषि उपकरण लाता ले जाता रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। इसलिये प्रार्थी अपने उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीन करवाना चाहता है। जिसके लिये प्रार्थी मुताबिक आदेश राशि जमा करवाने को तैयार है। विवाद कारण प्रथम व अन्तिम बार दिनांक 22.02.2021 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा रास्ता अवरूद्ध करने पर एवं अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी होने से एवं प्रार्थना पत्र 251 क आर.टी.एक्ट. का होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी ख0नं0 382 ग्राम एवं माल नारायणपुरा में आने जाने हेतु पूर्व में चले आ रहे रास्ते ख0नं0

333, 334 व 387 की मेड पर होकर को खुलासा करवाया जाकर 10 फुट रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शे में दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 झूठे एवं मनघडन्त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। विशेष विवरण विशेष कथन में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 झूठे एवं मनघडन्त तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 10 का जवाब बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जावेगा। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नहीं है।

विशेष–कथन

प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम व माल नारायणपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 53 का ख0नं0 382 रकबा 3.27 है0 पर आने जाने के लिये ख0नं0 334, ख0नं0 333 एवं ख0नं0 387 की मेड पर होकर प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं है। और न ही प्रार्थी ने कभी भी इसमें रास्ते का उपयोग, उपभोग किया है। बल्कि प्रार्थी सरकारी चारागाह भूमि ख0नं0 328 पर होकर ही शुरू से अपने कृषि उपकरण लाता ले जाता रहा है। प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 334, 333, व 387 में होकर नया रास्ता बनाने पर आमादा है। इसलिये उसने अप्रार्थीगण को तंग करने एवं नुकसान पहुंचाने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ख0नं0 334 रकबा 0.32 है0 आराजी को अप्रार्थी क्रम 2 माणकचन्द पुत्र कान्हा के हिस्से, कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि बताया है जबकि उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारे में परसराम पुत्र कन्हैयालाल किराड के हिस्से में आई है और लगभग 5 वर्ष से परसराम ही उक्त ख0नं0 334 की भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

3. अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के जवाब दावा पेश करने के बाद नियत तारीख पेशी दिनांक 30.06.2022 को अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. साक्ष्यप्रार्थी के तहत Aw1 नेमीचन्द पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राहमण निवासी नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किया कि ग्राम एवं माल नारायणपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 53 का ख0नं0 382 का रकबा 3.27 है0 मेरे कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख0नं0 334, 333, 387 से होकर रास्ता दिलवाया जावे।

5. तहसीलदार अटरू से रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2022/1279 दिनांक 31.05.2022, क्रमांक/राजस्व/ 2022/1323 दिनांक 06.06.2022, व पत्रांक/1845 दिनांक 12.07.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम नारायणपुरा के ख0नं0 382 की 3.27 है0 भूमि तक आने जाने हेतु ख0नं0 333, 334, 387 से होकर रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में ख0नं0 333, 382 की मेड पर अप्रार्थी प्रेमचन्द पुत्र डालूराम, माणकचन्द पुत्र कान्हा व युधिष्टर पुत्र डालूराम किराड ने पत्थर का कोट बना हुआ है। तथा वर्तमान में प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते के रूप में ख0नं0 427 की 5.13 है0 किस्म चारागाह तथा ख0नं0 380 की 0.67 है0 किस्म चारागाह में होकर आता जाता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते की लम्बाई लगभग 280 मीटर है तथा वैकल्पिक रास्ते के रूप में ख0नं0 427 तथा ख0नं0 380 का उपयोग किया जा सकता है।

6. अभिभाषक प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नारायणपुरा में प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 382 का रकबा 3.27 है0 पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता 3 मीटर चौडाई में अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 333, 334, 387 से होकर दिलाया जावे। प्रार्थी वर्षों से इन्ही खेतों की पश्चिमी मेढ से होकर अपने खेतों तक आता जाता है। प्रार्थी के खेत ख0नं0 382 तक पहुंच का यही सबसे लघुतम रास्ता है जिसकी लंबाई करीब 270 मीटर है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि नियमानुसार अप्रार्थीगण को जमा कराने को तैयार है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा

पुनः कथन किया गया कि यह रास्ता प्रार्थी की अतिआवश्यकता है और यदि प्रार्थी को उसकी आराजी तक पहुंच के लिए रिकार्डेड रास्ता नहीं दिया गया तो उसकी भूमि पडत रह जायेगी जिससे उसके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जायेगा।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के जवाब प्रार्थना के विशेष कथन के मद क्रम 2 में अंकित है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते में आने वाला ख0नं0 334 रकबा 0.32 है0 अप्रार्थी क्रम 2 माणकचन्द पुत्र कान्हा किराड के हिस्से व कब्जे में होना बताया गया है जबकि मौके पर विगत 5 वर्षों से अप्रार्थी क्रम 2 के भाई परसराम पुत्र कन्हैयालाल किराड कब्जे काश्त चला आ रहा है। इस संबंध में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि ख0नं0 334 अप्रार्थी क्रम 2 के पिता कान्हा किराड के स्वामित्व व कब्जे में थी जो उनकी मृत्यु के बाद पारिवारिक बटवारे में उनके पुत्र अप्रार्थी क्रम 2 के हिस्से में आयी है और तभी से अप्रार्थी क्रम 2 कब्जे काश्त में चला आ रहा है। ग्राम नारायणपुरा की जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श ए1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 334 अप्रार्थी क्रम 2 सहित कुल 19 लोगों की सहखातेदारी मे दर्ज है जिसमें अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 1/9 दर्ज है। तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 व 06.06.2022 के अनुसार ख0नं0 334 पर माणकचन्द पुत्र कान्हा जाति किराड ने पत्थर का कोट कर रखा है। अतः प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि भले ही ख0नं0 334 राजस्व रिकार्ड में कई लोगों की सहखातेदारी मे दर्ज है लेकिन मौके पर अप्रार्थी क्रम 2 माणकचन्द पुत्र कान्हा ही कब्जे काश्त है। यद्यपि प्रार्थी प्रार्थी द्वारा धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र में सभी 19 सहखातेदारों को फोरमल पक्षकार नहीं बनाया है तथापि धारा 251 ए में नया रास्ता दिये जाने पर निर्धारित की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान ख0नं0 334 के सभी रिकोर्डेड 19 सहखातेदारों को उनके हिस्से व रकबे के अनुसार ही किया जायेगा।

7. उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) **रास्ते की अति आवश्यकता होना**– प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम नारायणपुरा की जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 व प्रदर्श 4, ग्राम नारायणपुरा का खसरा नक्शा प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 व 12.07.2022 आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी

ख0नं0 382 रकबा 3.27 है0 तक पहुंच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी के दक्षिण में चारागाह भूमि ख0नं0 379, 380, 426, 427, स्थित है। इस चारागाह भूमि से आगे मौके पर या रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है। उत्तर में अप्रार्थीगण के ख0नं0 333, 334 व 387 स्थित है और इनके उत्तर में मौके पर देवनारायण मंदिर झाडोता को जाने वाला रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी के खेत तक रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को अडौसी पडौसीयों के खेतों की मेड से होकर केवल व्यवस्थार्थ आना जाना पडता है। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की अत्यावश्यकता है।

(ii) **वैकल्पिक रास्ता नहीं होना**— ग्राम नारायणपुरा के खसरा नक्शे प्रदर्श 5 व 6, और तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 व 06.06.2022 के अनुसार प्रार्थी के खाते की ग्राम नारायणपुरा के आराजी ख0नं0 382 तक पहुंच हेतु कोई भी रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी चारागाह भूमि ख0नं0 328 में होकर आता जाता है। तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 के अनुसार प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते के रूप में चारागाह भूमि ख0नं0 380 व ख0नं0 427 को उपयोग कर सकता है। धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 में केवल निजी खातेदारी में होकर नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, राजकीय —चारागाह भूमि से होकर नया रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी नियम/परिपत्र/नोटिफिकेशन पेश नहीं किया जिसके आधार पर चारागाह भूमि में होकर धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 के अधीन जोत तक पहुंच हेतु नया रास्ता देने का प्रावधान हो।

(iii) **सबसे लघुतम रास्ता होना**ः— प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा एवं तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 के अनुसार प्रार्थी के खेत ख0नं0 382 तक पहुंच का सबसे लघुतम रास्ता ख0नं0 334, 333, 387 की पश्चिमी मेड से होकर जाता है जिसकी लम्बाई करीब 280 मीटर है। इसके

अतिरिक्त अन्य कोई लघूत्तम रास्ता निजी खातेदारी से होकर मौका रिपोर्ट मे अंकित नहीं किया गया है।

(iv) **डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—**प्रार्थी अप्रार्थीगण के ख0नं0 334, 333, 387 से होकर दिये जाने वाले रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि की नियमानुसार निर्धारित डी.एल.सी. दरों से दुगनी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम नारायणपुरा के ख0नं0 334, 333, व 387 की पश्चिम मेड के सहारे तहसीलदार द्वारा पेश नजरी नक्शा दिनांक 12.07.2022 के अनुसार प्रार्थी को अपने जोत ख0नं0 382 तक पहुंच हेतु 3 मीटर चौडा व 280 मीटर लम्बा नया रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम नारायणपुरा तहसील अटरू के ख0नं0 382 का रकबा 3.27 है0 तक पहुंच हेतु तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारायणपुरा के ख0नं0 334, 333, 387 में से पश्चिमी मेड के सहारे 280 मीटर लम्बा व 3.2 मीटर चौडा रास्ता यानी 896 वर्ग मीटर यानी 0.09 है0 भूमि की **DLC** की दुगनी राशि **हिस्से अ**नुसार अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 तथा ख0नं0 334 के अन्य 18 सहखातेदारों को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां